



2026:AHC:128637

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध ज़मानत आवेदन संख्या - 18376/2026

काशिफ सरदार हाशिम खान खान मलिक उर्फ काशिफ खान

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक(कों) के अधिवक्ता : अंकित श्रीवास्तव, जी.ए., वरिष्ठ अधिवक्ता, उमेश चंद्र शुक्ला

विपक्षी के अधिवक्ता : सिद्धार्थ श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आज दाखिल किया गया पूरक शपथ-पत्र रिकॉर्ड पर लिया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री अंकित श्रीवास्तव और सूचना देने वाले के अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ श्रीवास्तव की ओर से पेश अधिवक्ता श्री गिरिजाशंकर मिश्रा की बातें सुनीं और रिकॉर्ड देखा।
3. यह ज़मानत अर्ज़ी, मुकदमा अपराध संख्या 842/2025 बी0एन0एस0 की धारा 336(3), 351(3), 61(2), 340(2), 338, 318(4) के तहत, थाना-रामगढ़ताल, ज़िला-गोरखपुर में आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने के लिए दायर की गई है।
4. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक बेगुनाह है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। एफ0आई0आर0 आठ लोगों के खिलाफ दर्ज की गई थी, लेकिन एफ0आई0आर0

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



में आवेदक का नाम नहीं है। एफ0आई0आर0. में मुख्य आरोप सह-आरोपी वैभव मणि त्रिपाठी पर लगाया गया है। आवेदक का मामला एफ0आई0आर0 में नामजद सह-आरोपियों के मामले से अलग है। साथ ही यह भी कहा गया है कि कथित घटना 23.01.2025 को हुई थी, जबकि एफ0आई0आर0 18.12.2025 को दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने इस देरी का कोई उचित कारण नहीं बताया है। लगभग 11 महीने बाद एफ0आई0आर0. दर्ज की गई, जबकि एफ0आई0आर0 में आवेदक का नाम नहीं है। एफ0आई0आर0. में लगाए गए आरोपों के अनुसार, पैसे नामजद आरोपियों के खातों में ट्रांसफर किए गए थे। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि 23.01.2025 को मुंबई में सह-आरोपी वैभव मणि त्रिपाठी और फैशन टीवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच फ्रैंचाइजी देने के लिए एक पंजीकृत समझौता किया गया था। इस एग्रीमेंट के बाद, सह-आरोपी करुणेश प्रताप सिंह और शिकायतकर्ता जूही सिंह ने सह-आरोपी गौतम कनोडिया, गौरव कनोडिया और राम अवतार बंसल के साथ एक रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट किया। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि आवेदक को न तो नकद और न ही बैंक खाते में कोई पैसा मिला। हालांकि, शिकायतकर्ता ने 'फैशन टीवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' से संपर्क किया और अपनी फ्रैंचाइजी फीस यानी ₹12,50,000 की मांग की, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, तो उसने आवेदक और उसके साथियों को झूठे आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी दी। हालांकि, एफ0आई0आर0 दर्ज करते समय, न तो आवेदक और न ही 'फैशन टीवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' के किसी सदस्य का नाम एफ0आई0आर0 में शामिल किया गया था। एफ0आई0आर0 को देखने से पता चलता है कि पैसे लेने का मुख्य आरोप सह-आरोपी वैभव मणि त्रिपाठी पर लगाया गया है। पीड़िता का बयान 22.12.2025 को दर्ज किया गया था, लेकिन उसने आवेदक का नाम नहीं लिया। जांच के दौरान आवेदक को गलत और गैर-कानूनी तरीके से आरोपी बनाया गया।

5. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा कि 'फैशन टीवी प्राइवेट इंडिया लिमिटेड' ने अच्छी नीयत और अपनी साख बनाए रखने के लिए, शिकायतकर्ता के पति राकेश कुमार के खाते में आरटीजीएस के ज़रिए पूरी फीस यानी 12,50,000 रुपये 01.05.2026 और 02.05.2026 को वापस कर दिए। इस रकम के अलावा, शिकायतकर्ता द्वारा बताई गई बाकी सारी रकम या तो सह-आरोपी वैभव मणि त्रिपाठी को दी गई थी या उनके कहने पर दूसरे आरोपियों को दी गई

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



थी। आवेदक की कंपनी को कोई रकम नहीं मिली। आगे यह भी कहा गया है कि एक सिविल विवाद को गलत और गैर-कानूनी तरीके से क्रिमिनल न्यायालय में घसीटा गया है। 23.01.2025 के समझौते में मध्यस्थता की एक खास शर्त है और यह तय हुआ था कि किसी भी विवाद की स्थिति में सही समाधान आर्बिटर के पास ही होगा। यह तर्क दिया गया है कि आवेदक के क्रिमिनल इतिहास के बारे में 20.05.2026 के पूरक हलफनामे के पैराग्राफ नंबर 6 से 15 में बताया गया है। यह अपराध पूरी तरह से मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनवाई के लायक है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक 04.04.2026 से जेल में बंद है और अगर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और ट्रायल में सहयोग करेगा।

6. इसके उलट, विद्वान ए0जी0ए0 और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का जोरदार विरोध किया है। यह भी कहा गया है कि अर्जी देने वाले और सह-आरोपी ने बेईमानी से शिकायतकर्ता को बड़ी रकम देने के लिए उकसाया और उसके बाद वे भाग गए, और इस तरह धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात किया। अर्जी देने वाला आदतन अपराधी है और उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, जमानत अर्जी को खारिज करने की मांग की गई है।

7. मैंने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनी हैं और उनके तर्कों पर गंभीरता से विचार किया है। प्रथम दृष्टया, इस न्यायालय का मानना है कि यह विवाद मुख्य रूप से एक कमर्शियल विवाद है और शिकायतकर्ता की शिकायत बकाया रकम का भुगतान न होने के बारे में है। 20.05.2026 के पूरक हलफनामे के पैराग्राफ नंबर 6 से 15 में आपराधिक इतिहास के बारे में बताया गया है। इस मामले में आरोप पत्र पहले ही दाखिल की जा चुकी है और मौजूदा आवेदक 04.04.2026 से जेल में बंद है। आवेदक का मामला एफ0आई0आर0 में नामजद आरोपियों के मामले से अलग है।

8. जो भी हो, विवाद बकाया धनराशि की वसूली न होने का है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



9. ललित चतुर्वेदी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2024 (12) एससीसी 483)

मामले में, इसी तरह के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम न्यायालय ने एफ0आई0आर0 और उससे जुड़ी कार्यवाही को रद्द कर दिया। न्यायालय ने इसे कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग माना और पैरा 5, 6, 7, 9 और 10 में जो बातें कहीं, वे नीचे दी गई हैं:-

" 5. इस न्यायालय ने कई फैसलों में समझौता तोड़ने, पैसे का भुगतान न करने या समझौता की शर्तों को न मानने और उनका उल्लंघन करने जैसे सिविल मामलों, और आईपीसी की धारा 420 और 406 के तहत आपराधिक अपराध के बीच साफ अंतर बताया है। हालांकि, इस न्यायालय के बार-बार दिए गए फैसलों को किसी न किसी तरह नज़रअंदाज़ किया जा रहा है और उन्हें लागू नहीं किया जा रहा है। हम इन फैसलों का जिक्र करेंगे। जिस फैसले को चुनौती दी गई है, उसमें अपील करने वालों की ओर से सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर अर्जी को देरी और इस तथ्य के आधार पर खारिज कर दिया गया है कि 12.12.2019 को आरोप पत्र दाखिल की गई थी। यह आधार और कारण भी सही नहीं हैं।

6. "मोहम्मद इब्राहिम और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य" (मनु/एससी/1604/2009:2009:आईएनएससी:1110:(2009) 8 एससीसी 751) मामले में, इस न्यायालय ने आईपीसी की धारा 420 का जिक्र करते हुए कहा था कि इस धारा के तहत अपराध मानने के लिए, निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए: -

"18. आइए अब देखें कि क्या धोखाधड़ी के अपराध के ज़रूरी तत्व मौजूद हैं। 'धोखाधड़ी' के अपराध के मुख्य तत्व इस प्रकार हैं:

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(i) किसी व्यक्ति को गलत या गुमराह करने वाली बात बताकर, या बेईमानी से कोई बात छिपाकर, या किसी अन्य काम या काम न करने के ज़रिए धोखा देना;

(ii) उस व्यक्ति को धोखाधड़ी या बेईमानी से किसी संपत्ति को सौंपने या किसी व्यक्ति द्वारा उसे अपने पास रखने के लिए सहमति देने के लिए उकसाना; या जानबूझकर उस व्यक्ति को, जिसे धोखा दिया गया है, ऐसा कुछ करने या न करने के लिए उकसाना जो वह तब नहीं करता या नहीं छोड़ता अगर उसे धोखा न दिया गया होता; और

(iii) ऐसा काम या काम न करने की वजह से उस व्यक्ति को शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति के मामले में नुकसान पहुँचना या नुकसान पहुँचने की संभावना होना।

19. धारा 420 के तहत अपराध तब माना जाएगा जब न केवल धोखाधड़ी हुई हो, बल्कि उस धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप, आरोपी ने धोखे का शिकार हुए व्यक्ति को बेईमानी से इस बात के लिए प्रेरित किया हो कि वह

(i) किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति सौंप दे, या

(ii) कोई मूल्यवान प्रतिभूति (या ऐसी कोई चीज़ जिस पर हस्ताक्षर या मुहर लगी हो और जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में बदला जा सके) बनाए, उसमें बदलाव करे या उसे पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट कर दे।"

7. इस न्यायालय ने "वी.वाई. जोस और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य"

मनु/एससी/8460/2008 : 2009:आईएनएससी:1312 : (2009) 3 एससीसी 78

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



मामले में भी साफ तौर पर कहा है कि समझौता से जुड़ा कोई विवाद या समझौता का उल्लंघन होने पर सीधे आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जानी चाहिए। आईपीसी की धारा 415 के तहत 'धोखाधड़ी' का मतलब है—समझौता बनने की शुरुआत से ही धोखा देने या बेईमानी की नीयत से कोई वादा करना या बात कहना। इसके अलावा, अगर शिकायत की अर्जी में ऐसे आरोप नहीं हैं जिनसे अपराध के तत्व साबित हो सकें, तो हाई न्यायालय को सीआर0पी0सी0 की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। सीआर0पी0सी0 की धारा 482 हाई न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को सुरक्षित रखती है, क्योंकि इसका एक अच्छा मकसद है—किसी व्यक्ति को कई सालों तक मुकदमेबाज़ी से परेशान न होना पड़े, जब कोई आपराधिक अपराध बनता ही न हो। यह कहना एक बात है कि ट्रायल के लिए मामला बनता है और आपराधिक कार्यवाही को रद्द नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन यह कहना बिल्कुल अलग बात है कि किसी व्यक्ति को आपराधिक ट्रायल का सामना करना ही चाहिए, जबकि शिकायत में कोई अपराध ही नहीं बनता। इस न्यायालय ने वी0वाई0 जोस (उपरोक्त) मामले में पहले के कई फैसलों पर भरोसा किया, जैसे "हीरा लाल हरि लाल भगवती बनाम सीबीआई – मनु/एससी/0371/2003 : 2003:आईएनएससी:275 : (2003) 5 एससीसी 257 "इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम एनईपीसी इंडिया लिमिटेड" मैनु/एससी/3152/2006 : 2006 : आईएनएससी : 452 : (2006) 6 एससीसी 736, " वी0 प्रकाश शर्मा बनाम अनिल कुमार अग्रवाल" मनु/एससी/7743/2007:(2007):(2007) 7 एससीसी 373 और "ऑल कार्गो मूवर्स (I)(पी) लिमिटेड बनाम धनेश बदरमल जैन" मनु/एससी/8047/2007:2007:आईएनएससी:1063:(2007) 14 एससीसी 776।

8. शिकायत (जिसे एफआईआर के तौर पर दर्ज किया गया था) और उसमें कही गई बातों को देखने के बाद, यह साफ है कि प्रतिवादी संख्या 2/शिकायतकर्ता - संजय गर्ग की शिकायत इस बात को लेकर है कि अपील करने वालों ने बकाया

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



रकम का भुगतान नहीं किया, जबकि प्रतिवादी संख्या 2/शिकायतकर्ता - संजय गर्ग ने बार-बार इसकी मांग की थी। प्रतिवादी संख्या 2/शिकायतकर्ता - संजय गर्ग का कहना है कि सप्लाई 01.12.2015 और 06.08.2017 के बीच की गई थी। अपील करने वालों ने समय-समय पर कुल ₹3,76,40,553/- का भुगतान किया था, जिससे ₹1,92,91,358/- की रकम बकाया रह गई।

9. हम मान लेते हैं कि शिकायत में कही गई बातें सही हैं, लेकिन फिर भी, भारतीय दंड संहिता की धारा 415 सपठित धारा 420 के तहत आपराधिक अपराध तब तक नहीं बनता जब तक कि गलत और गुमराह करने वाली बात कहकर, बेईमानी से कुछ छिपाकर या किसी अन्य काम या चूक से धोखा न दिया गया हो, या समझौता करते समय शिकायतकर्ता को कोई संपत्ति देने के लिए उकसाया न गया हो। अपराध का आरोप लगाने के लिए ज़रूरी बातें न तो बताई गई हैं और न ही बयानों से इनका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अपील करने वालों से पैसे वसूलने के लिए पुलिस से गुहार लगाई गई है। पुलिस को उन आरोपों की जांच करनी होती है जिनसे किसी आपराधिक काम का पता चलता है। पुलिस के पास पैसे वसूलने या पैसे की वसूली के लिए सिविल न्यायालय की तरह काम करने की शक्ति और अधिकार नहीं हैं।

10. आरोप पत्र में आईपीसी की धारा 406 का भी ज़िक्र है, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि इस धारा की शर्तें कैसे पूरी होती हैं। इसमें कोई विवरण या जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे फैसले हैं जिनमें कहा गया है कि एक ही काम या लेन-देन से धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात दोनों अपराध एक साथ नहीं हो सकते। धोखाधड़ी के अपराध के लिए, लेन-देन की शुरुआत में ही बेईमानी की नीयत होनी चाहिए, जबकि आपराधिक विश्वासघात के मामले में पार्टियों के बीच ऐसा रिश्ता होना चाहिए जिसमें एक पार्टी कानून के तहत दूसरी पार्टी को संपत्ति सौंपती है, भले ही बेईमानी की नीयत बाद में आए। इस मामले में संपत्ति सौंपने

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



वाली बात ही नहीं है, बल्कि ऐसा कोई आरोप भी नहीं लगाया गया है। यह सामान बेचने का मामला है। आरोप पत्र में शिकायत में कही गई बातों के आधार पर आईपीसी की धारा 506 का भी जिक्र किया गया है। हालाँकि, कोई विवरण या जानकारी नहीं दी गई है कि धमकी कब, किस तारीख और किस जगह दी गई थी। इन डिटेल्स और जानकारी के बिना, हमें यह साफ़ लगता है कि धमकी वगैरह के ये आरोप सिर्फ़ पैसे की वसूली के लिए पुलिस मशीनरी को हरकत में लाने के इरादे से लगाए गए हैं।"

10. ऊपर बताई गई बातों को देखते हुए, ज़मानत का मामला बनता है। आवेदन मंज़ूर किया जाता है।

11. आवेदक - काशिफ़ सरदार हाशिम खान मलिक उर्फ़ काशिफ़ खान, जो ऊपर बताए गए मामले में शामिल है, को संबंधित अदालत की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत मुचलका और दो ज़मानतदार पेश करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह इन शर्तों का पालन करे:

(i) आवेदक को यह लिखित वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों, तो वह सबूत पेश करने के लिए तय तारीख पर सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा। अगर इस शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की आज्ञादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार आदेश दे सकता है।

(ii) आवेदक को तय हर तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने खुद या अपने अधिवक्ता के ज़रिए मौजूद रहना होगा। अगर वह बिना किसी ठोस वजह के गैर-हाज़िर रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ़ आईपीसी की धारा 229-ए/बी0एन0एस0 की धारा 269 के तहत कार्रवाई कर सकता है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(iii) अगर आवेदक सुनवाई के दौरान ज़मानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसकी मौजूदगी पक्की करने के लिए सी0आर0पी0सी0 की धारा 82/बी.एन0एस0एस0 की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। अगर आवेदक ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर न्यायालय के सामने पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय कानून के मुताबिक उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 174-ए/बी0एन0एस0की धारा 209 के तहत कार्रवाई शुरू करेगा।

(iii) आवेदक को इन तारीखों पर विचारण न्यायालय के सामने खुद पेश होना होगा: (1) सुनवाई शुरू होने पर, (2) आरोप तय होने पर, और (3) सी0आर0पी0सी0 की धारा 313 / बी.एन0एस0एस0 की धारा 351 के तहत बयान दर्ज होने पर। अगर विचारण न्यायालय को लगता है कि आवेदक जानबूझकर या बिना किसी ठोस वजह के गैर-हाज़िर रहा है, तो ट्रायल न्यायालय इस चूक को ज़मानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल मान सकता है और कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

12. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

13. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देते समय की गई टिप्पणियों का, गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में संबंधित विचारण न्यायाधीश पर किसी भी तरह से कोई असर नहीं पड़ेगा।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

22 जून, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"